

का पत्र हा। ३

28/6
2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व पत्नी प्रार्थी अनुप
चार बार आशाज किलवापी जाने पर भी
प्रार्थी की ईर्ष्या कोई उपस्थित नहीं। अतः
प्रार्थी का प्राण अक्षय हाजरी आरुण पेशी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुभा होना ~~का~~ नखाई का होना दफला
दाखल है।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नामकाथाना (सीकर)